RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 अक्टूबर, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 5

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

हमारे सदस्यों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके लिए और आपके परिवार के लिए यह पर्व मंगलमय हो और आपके घर में सुख, समृद्धि हो व देवी लक्ष्मी की महती कृपा रहे।

वर्ष 2013 के पूरे भण्डारण सत्र में जिस तरह आलू के भाव चलते रहे उससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शीतगृहों में कम से कम 15 प्रतिशत आलू नवम्बर, 2013 माह में बचा रहेगा। आलू के भाव इस कदर गिर गए थे कि भण्डारणकर्ता को आलू शीतगृह से निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी।

अनेक शीतगृहस्वामियों ने तो 200 रूपए पैकेट तक का लोन वितरित कर दिया था। आलू के भाव 250 से 300 रूपए प्रति पैकेट तक आ चुके थे। अतः भण्डारणकर्ता अपने आलू से हट कर दूर बैठ गया था और इस इन्तजार में था कि यदि आलू के भाव बढ़ते है तो वह शीतगृहों से आलू निकालने आयेगा अन्यथा नहीं। जिन शीतगृहों ने लोन नहीं दिया था या बहुत कम दिया था वहाँ तो आलू की निकासी चल रही थी। काफी घाटे के बाद भी भण्डारणकर्ता मजबूर होकर आलू निकाल रहा था।

यकायक दैवी आपदा आ जाने से इस माह में तूफान व वर्षा से बहुत प्रदेश जलमग्न हो गये। आलू ने तेजी पकड़ ली, आलू की नई बोई फसलों को भी बहुत नुकसान पहुँचा, जिससे अक्टूबर 2013 माह के अन्त तक आने वाली नई फसलें कमजोर पड़ गई। इन्हीं सब अनुमानों के साथ आलू के भावों में तेजी आनी शुरू हो गई। इस बड़ी घटना ने आलू के व्यापार में उथल–पुथल ला दी।

शीतगृहों को इतना लाभ अवश्य हुआ कि अब उनका भण्डारण प्रभार आसानी से मिल जायेगा। और वह तमाम आलू जो बिक्री न हो पाता भी शीतगृहों से निकल जायेगा। यहाँ हम अपने सदस्यों को फिर याद दिलाना चाहेंगे कि वह इस समय इस बात से सबक ले कि ज्यादा लोन देना कितना हानिकारक हो सकता है।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 :

हमें अपने अनेक सदस्यों से इस बात के पत्र मिल रहे हैं कि उन्हे उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की जानकारी नहीं है, यही अधिनियम की जानकारी के लिए हमें अन्य अनेक प्रान्तों से भी पत्र प्राप्त हुए है। वैसे भी वर्ष के अन्त तक भण्डारण सम्बन्धी अनेक विवाद खड़े हो जाते हैं। शीतगृहस्वामियों को अधिनियम की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस बार पूरा अधिनियम एक दफा में ही दे रहे है। हम आशा करते है कि सारे शीतगृहस्वामी इस अंक को अपने पास सुरक्षित रखेंगे जिससे अधिनियम की जानकारी तुरन्त मिल सके। जगह की कमी के कारण हम यहाँ पर नियामावली नहीं दे पा रहे हैं। चेष्टा करेंगे की अगले किसी अंक में पूरी नियामावली प्रकाशित कर दें।

For Sale

1. Sale of Ramnagar Refrigeration & Ice Pvt. Ltd.
2. Capacity 6000 Metric Tons (Approx. 1,20,000/- Bags of 50 Kg.)
3. Location : 57 Km. from Hazratganj, Lucknow situated at Ramnagar, District Barabanki.
4. No. of Chambers : Two - Established in 2004-2005.
5. Machinery : Bunker System, with (2) KC-4 Compressors, attached with Motor etc.
6. Generators : One Kirlosker 140 KVA, One 125 LKV Leyland Generator.
7. Ice Factory : Fully built and operational Ice Factory with 448 can capacity of 120 Kg. can
8. Power : 130 KVA Sanctioned Load with independent line from Power Station Ramnagar.
9. Land : 55000 Sq. Feet (Approx. 2 Bighas) in name of the Unit.
10. Unit in Running Condition.

Contact : **Shri Ajai Kumar Tripathi, Managing Director**
Mobile : 09415002968, 9621437973
E-mail : ajaikumartripathi@gmail.com, ajaikumartripathi@rediff.com

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976

(उत्तर–प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1976)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज को लाइसेंस देने, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** : (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 20 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. **परिभाषाएँ** : जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(क) 'कृषि उत्पाद' के अन्तर्गत कृषि या उद्यान के उत्पादन, पशुपालन या मत्स्य संवर्धन और ऐसे समस्त खाद्य या पेय पदार्थ है जो पूर्णतया या अंशतया इनमें से किसी से निर्मित हों;

(ख) 'बोर्ड' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड से है;

(ग) 'कोल्ड स्टोरेज' का तात्पर्य ऐसे परिबद्ध कक्ष से है जो इन्सुलेटेड हो और रेफ्रीजरेशन मशीनरी द्वारा यांत्रिका रूप से शीतित हो जिससे वहाँ पर स्टोर किये हुए कृषि उत्पाद को रेफ्रीजरेशन की अवस्था उपलब्ध हो सके, किन्तु इसके अन्तर्गत वे रेफ्रीजरेशन कैबिनेट तथा शीतकारी संयंत्र (चिलिंग प्लान्ट्स) नहीं हैं जिनकी क्षमता 100 घन मीटर से न्यून हो;

(घ) 'किरायादाता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिये प्रभार देकर स्थान किराये पर लें;

(ङ) 'लाइसेन्स' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स से है;

(च) 'लाइसेन्सधारी' का तात्पर्य उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है, और धारा 17 के स्पष्टीकरण के सिवाय इसके अन्तर्गत उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी की किसी या सभी शक्ति का प्रयोग करने के लिये सशक्त निम्नलिखित अधिकारी भी हैं :–

(1) उद्यान विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से नीचे का न हो;

(2) राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो परगना अधिकारी के पद से नीचे का न हो;

(छ) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ज) 'रसीद' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा दी गई कोल्ड स्टोरेज की रसीद से है और इसके अन्तर्गत रसीद की दूसरी प्रति भी है;

(झ) 'अधिकरण' का तात्पर्य धारा 35 के अधीन गठित अधिकरण से है।

अध्याय 2
कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड

3. बोर्ड का गठन : राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः –

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जो बोर्ड का सभापति होगा;

(ख) भारत सरकार के कृषि मण्डी सलाहकार का एक प्रतिनिधि;

(ग) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश;

(घ) निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश;

(ङ) मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ; और

(च) उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश जो सचिव का भी कार्य करेगा।

4. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य : (1) बोर्ड निम्नलिखित कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेगा :–

(क) कोल्ड स्टोरेजों को लाइसेन्स देने से सम्बन्धित नीति–विषयक मामलों और उससे सम्बद्ध विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) कोल्ड स्टोरेजों के वैज्ञानिक, नियोजन, अनुरक्षण, विकास और विस्तार के सम्बन्ध से राज्य सरकार को सुझाव देना और राज्य में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के समन्वय के लिये उचित कार्यवाही का सुझाव देना;

(ग) कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिये समय–समय पर अधिकतम प्रभार नियत करने के विषय में राज्य सरकार को सलाह देना; और

(घ) राज्य सरकार को ऐसे अन्य विषयों पर, जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को निर्दिष्ट किये जाएं, या जो विहित किये जाएं, सलाह देना।

(2) बोर्ड का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायेगा।

अध्याय 3
कोल्ड स्टोरेज को लाइसेन्स देना

5. **कोल्ड स्टोरेज का कारोबार करने पर निबन्धन** : ऐसे दिनांक को और उसके पश्चात् जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित नियत करें, कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स की शर्तों और निबन्धनों के अधीन और अनुसरण के सिवाय, कोल्ड स्टोरेज में किसी कृषि उत्पाद को स्टोर करने का कारोबार नहीं करेगा।

6. **लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र** : (1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र लाइसेन्स अधिकारी के विहित प्रपत्र में और आवेदन–पत्र विहित फीस के साथ दिया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा यदि लाइसेन्स अधिकारी को यह प्रतीत हो कि

(क) कोल्ड स्टोरेज विहित विनर्दिशों के अनुरूप नहीं है;

(ख) कोल्ड स्टोरेज उस वर्ग के माल को स्टोर करने के उपयुक्त नहीं है जिसके लिए यह आशयित है;

(ग) आवेदन–पत्र के साथ विहित फीस नहीं है;

(घ) आवेदक किसी कपट या दुर्व्यपदेशन का दोषी है;

(ङ) आवेदक, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है।

7. **लाइसेन्स की अवधि और नवीनीकरण** : (1) धारा 6 के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स विहित अवधि के लिए, विधिमान्य होगा, और उस निमित विहित फीस के देने पर लाइसेन्स अधिकारी द्वारा, समय–समय पर, अग्रसर विहित अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स नवीकृत नहीं किया जायेगा, यदि लाइसेन्स अधिकारी को यह प्रतीत हो कि :–

(क) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है;

(ख) लाइसेन्सधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी है;

(ग) आवेदन–पत्र से धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश का उल्लंघन होता है।

8. लाइसेन्स का निलम्बन और रद्द किया जाना : (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जा सकता है; यदि लाइसेन्स अधिकारी को यह प्रतीत हो कि –

(क) धारा 7 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है;

(ख) लाइसेन्सधारी ने कोल्ड स्टोरेज के कब्जा या नियंत्रण को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित कर दिया है या उसने उसको चलाना बन्द कर दिया है।

(2) जहाँ कोई लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जाय वहाँ लाइसेन्सधारी न तो उसके लिये किसी प्रतिकार का हकदार होगा, न लाइसेन्स के लिये अपने द्वारा दी गई किसी फीस को वापस पाने का हकदार होगा।

9. नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अनुज्ञा : (1) कोई व्यक्ति कोई नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये लाइसेन्स अधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना उसे नहीं बनायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ लाइसेन्स अधिकारी को दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देते समय लाइसेन्स अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा –

(क) जिस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाने की माँग है, उस क्षेत्र में परिचालित कोल्ड स्टोरेज की संख्या;

(ख) ऐसे क्षेत्र में कृषि उत्पाद की उपलब्धता;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

10. आदेश के कारण दिये जायेंगे : (1) धारा 6 के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने या धारा 7 के अधीन लाइसेन्स के नवीकरण से इन्कार करने या धारा 8 के अधीन लाइसेन्स निलम्बित या रद्द करने या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश देने के पूर्व लाइसेन्स अधिकारी, यथास्थिति आवेदक या लाइसेन्सधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। परन्तु जब लोकहित में तत्काल कार्यवाही करना आपेक्षित हो तब लाइसेन्स अधिकारी, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस धारा के अधीन किसी नोटिस के बिना कोई लाइसेन्स निलम्बित कर करता है।

11. लाइसेन्स की दूसरी प्रति : जहाँ कोई लाइसेन्स खो जाये, नष्ट हो जाये, फट जाये, विरूपित हो जाये या अन्यथा अपठनीय हो जाये वहाँ लाइसेन्स अधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

अध्याय 4
लाइसेन्सधारी के अधिकार और कर्तव्य

12. जमा किये गये माल की युक्तियुक्त देखभाल : प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल की देखभाल उसी प्रकार जिस प्रकार कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियों और दशाओं में अपने माल की देखभाल करता है।

13. कोल्ड स्टोरेज की क्षमता प्रदर्शित करने का कर्तव्य : प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रतिदिन अपना कारोबार प्रारम्भ करने के पूर्व, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट कोल्ड स्टोरेज के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा :–

(क) कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में);

(ख) वस्तुतः अध्यासित क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में);

(ग) रिक्त क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में)

14. जमा करने के लिए माल स्वीकार करना : (1) कोई लाइसेन्सधारी, स्टोर करने के लिए, कृषि उत्पाद ग्रहण नहीं करेगा जिससे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये या किये जाने वाले अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुँचने की संभावना हो और यदि यह प्रश्न उठे कि कोई कृषि उत्पाद ऐसा है कि उससे उपर्युक्त प्रकार की क्षति होने की संभावना है तो वह लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु लाइसेन्सधारी, यथास्थिति, उद्यान विभाग के राजपत्रित अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में और रीति से इस प्रकार प्रमाणित वास्तविक कृषकों के आलू के बीज को इस आधार पर स्टोर करने से इन्कार नहीं करेगा कि इससे अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुँचने की संभावना है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहने हुए, कोई लाइसेन्सधारी विधिपूर्ण कारण के बिना अपने कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इन्कार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इस आधार पर इन्कार करना विधिपूर्ण कारण नहीं समझा जायेगा कि यद्यपि परिबद्ध कक्ष रिक्त है किन्तु किसी व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षित है।

15. माल की पहचान का परीक्षण : प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में प्रत्येक किरायादाता के कृषि उत्पाद को अन्य किरायादाता के ऐसे उत्पाद से तथा उसी किरायादाता के अन्य उत्पाद से जिसके लिए पृथक रसीद दी गयी हो, अलग रखेगा जिससे कि जमा माल सभी समय पर पहचाना जा सके और उसे सुगमतापूर्वक दिया जा सके।

परन्तु जहाँ कोल्ड स्टोरेज में मानकीकृत और श्रेणीकृत माल स्टोर किये जाएँ वहाँ एक या विभिन्न किरायादाता का एक ही प्रकार का माल, किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए एक साथ रखा

जा सकता है और उसमें से प्रत्येक किरायादाता, यथास्थिति, तौल या परिमाण के अनुसार जैसा उसकी रसीद में उल्लिखित हो, धारा 17 के स्पष्टीकरण के अधीन निश्चित सीमा तक सूखा या संकुचन को कम करते हुए, केवल अपना भाग पाने का हकदार होगा।

16. लाइसेन्सधारी किरायादाता को माल का निरीक्षण करने की सुविधा देगा : प्रत्येक लाइसेन्सधारी ऐसे समय में, जैसा लाइसेन्स अधिकारी आदेश द्वारा निदेश दें, किसी किरायादाता या उसके नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को अपने माल का निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने की सुविधा देगा का कि उसके माल की उचित देखभाल की जाती है।

17. कोल्ड स्टोरेज में माल खराब होना और उसका निस्तारण : (1) जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियंत्रण में परे हो, खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की संभावना हो, या किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल की रसीद में उसके लिये विनिर्दिष्ट दिनांक से, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न उठाये तो लाइसेन्सधारी किरायादाता को तुरन्त उसका नोटिस देगा जिसमें उससे सम्यक् रूप से उन्मोदित रसीद अभ्यर्पित करने और लाइसेन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् माल को उठान की अपेक्षा की जायेगी, और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेन्स अधिकारी को भेजेगा।

(2) जहाँ किरायादाता उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का पालन उसे तामील किये जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करे वहाँ लाइसेन्सधारी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाता के खर्चे और जोखिम पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिकवा सकता है।

परन्तु लाइसेन्सधारी लाइसेन्स अधिकारी को ऐसी बिक्री की सूचना बिक्री के कम से कम अड़तालीस घण्टे पूर्व देगा, और लाइसेन्स अधिकारी ऐसी बिक्री का पर्यवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा।

स्पष्टीकरण : सूखा या संकुचन द्वारा तौल या भार में कमी या नमी सोखने के कारण तौल या भार में वृद्धि को इस धारा के अर्थान्तर्गत खराब होना समझा जायेगा, यदि उक्त कमी या वृद्धि ऐसी सीमा से अधिक हो, जिसे लाइसेन्स अधिकारी समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करे।

(3) यदि नमी सोखने या अन्य कारण से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद की तौल या भार अधिक हो जाये तो लाइसेन्सधारी ऐसे आधिक्य का हकदार न होगा।

18. माल की दशा के सम्बन्ध में प्रज्ञापन : कोई व्यक्ति जिसका किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल में या ऐसे माल से सम्बन्धित किसी रसीद में कोई हित हो, लाइसेन्सधारी को इस तथ्य और अपने हित के स्वरूप से लिखित रूप से अवगत करा सकता है और लाइसेन्सधारी उसका अभिलेख रखेगा, और यदि ऐसे व्यक्ति लिखित रूप से यह निवेदन करे कि उसे माल की दशा के सम्बन्ध में प्रज्ञापन किया जाय और ऐसे प्रज्ञापन के लिये यह विहित प्रभार देने के लिये सहमत हो तो लाइसेन्सधारी उसे तद्नुसार प्रज्ञापन करने के लिए बाध्य होगा।

19. माल का परिदान : (1) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किरायादाता द्वारा या उसकी ओर से माँग किये जाने पर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान करेगा, परन्तु किरायादाता रसीद अभ्यर्पित करे और लाइसेन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करे।

(2) लाइसेन्सधारी को इस प्रकार अभ्यर्पित प्रत्येक रसीद विरूपित कर दी जायेगी और पुनः जारी नहीं की जायेगी।

(3) पक्षकारों के मध्य किसी करार के अधीन रहते हुए, किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान आंशिक रूप से ले सकता है और प्रत्येक ऐसे मामले में लाइसेन्सधारी रसीद पर उसका आवश्यक पृष्ठांकन करके उस किरायादाता को लौटा देगा।

20. लाइसेन्स का स्वत्व : प्रत्येक लाइसेन्सधारी जिसका कब्जा अपने कोल्ड स्टोरेज में माल पर हो, उस समय तक उस पर कब्जा रखने का हकदार होगा जब तक कि धारा 19 के अनुसार उसकी रसीद अभ्यर्पित कर दी जाय और आवश्यक प्रभार का सम्यक भुगतान न कर दिया जाये।

21. लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में रखे गये माल को किराया दाता के प्राधिकार के बिना न गिरवी रखेगा और न उसके सम्बन्ध में कोई व्यवहार करेगा : कोई लाइसेन्सधारी किरायादाता के लिखित प्राधिकार के सिवाय कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये जाने के लिये प्राप्त माल को न तो गिरवी रखेगा और न किसी अन्य प्रकार से उसके सम्बन्ध में कोई व्यवहार करेगा।

22. किरायादाता के उधार पर ब्याज की दर : यदि लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में किरायादाता द्वारा स्टोर किये गये किसी माल पर किसी किरायादाता को कोई धन उधार दे तो ब्याज की दर, किसी भी दशा में, उधार देते समय ऐसे ही प्रयोजनों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अपने पक्ष में गिरवी रखे गये माल के संबंध में ली जाने वाली चालू ब्याज की दर के अतिरिक्त एक प्रतिशत के आधे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक नहीं होगी।

23. बीमा : प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट (चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार की हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा कराये।

24. हानि, नाश आदि के लिए प्रतिकर : इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय, लाइसेन्सधारी किरायादाता को अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के सम्बन्ध में ऐसे लाइसेन्सधारी द्वारा की गयी उपेक्षा, श्रवचार या व्यतिक्रम के कारण हुई प्रत्येक हानि, नाश, क्षति, खराबी या माल के अपरिदान के लिए प्रतिकर का देनदार होगा।

25. प्रतिकर सम्बन्धी विवाद लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा : (1) धारा 24 के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा देय प्रतिकर संबंधी प्रत्येक विवाद लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा, और धारा 36 के अधीन अपील के यदि कोई हो, परिणाम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

(2) जब लाइसेन्स अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा देय किसी प्रतिकर का भुगतान उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से या, यथास्थिति, धारा 36 के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर नहीं किया गया है तब वह कलेक्टर को वसूली का प्रमाण–पत्र जारी करेगा, और कलेक्टर वसूली के खर्च सहित ऐसे प्रतिकर की राशि को भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूल करेगा और वसूल की गयी राशि का भुगतान, उसमें से खर्च काटने के पश्चात्, किरायादाता को करेगा।

26. अतिरिक्त राशि की वसूली का प्रतिषेद्य : कोई लाइसेन्सधारी स्टोर करने या किरायादाता के प्रति की गई किसी अन्य सेवा के लिए, धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रभार के अतिरिक्त कोई राशि नहीं लेगा।

27. लाइसेन्सधारी लेखा बही रखेगा : प्रत्येक लाइसेन्सधारी विहित प्रपत्र में और रीति से लेखा–बही और अभिलेख रखेगा।

28. लाइसेन्स अधिकारी को निदेश जारी करने की शक्ति : प्रत्येक लाइसेन्सधारी, इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी के ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये उसके द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें।

अध्याय 5
सेवा प्रभार

29. धारा 29 का प्रतिस्थापन : मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

29 (1) प्रत्येक लाइसेन्सधारी समय–समय पर कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिए या उसके सम्बन्ध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित करेगा और विभिन्न प्रभार कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते हैं।

(2) प्रत्येक लाइसेन्सधारी उपधारा (1) के अधीन निश्चित प्रभार कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा और उसकी एक प्रति लाइसेन्स अधिकारी के कार्यालय में भी देगा।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेन्सधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेन्सधारी के सम्बन्ध में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमें वे निश्चित किये जायें, के शेष भाग के लिए प्रभाषी होंगे।

30. धारा 30 का निकाला जाना : मूल अधिनियम की धारा 30 निकाल दी जायेगी।

31. धारा 31 का संशोधन : मूल अधिनियम की धारा 31 में, शब्द 'धारा 29 में निर्दिष्ट प्रभार' के स्थान पर, शब्द 'धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन प्रभार' रख दिये जायेंगे।

अध्याय 6
कोल्ड स्टोरेज की रसीद

32. रसीद देने का कर्तव्य : प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के लिये विहित प्रपत्र में रसीद देगा।

33. कोल्ड स्टोरेज की रसीद पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी : धारा 32 में निर्दिष्ट रसीद, जब तक कि उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी और यथा समय उसका धारक उसमें विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने का हकदार होगा मानों वह मूल किरायादाता हो।

34. रसीद की दूसरी प्रति : यदि कोई रसीद खो जाये, नष्ट हो जाये, फट जाये, विरूपति हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो लाइसेन्सधारी किरायादाता द्वारा आवेदन–पत्र और विहित फीस देने पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो विहित की जाय, रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा।

अध्याय 7
अधिकरण

35. अधिकरण का गठन : एक अधिकरण होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) भारत सरकार का कृषि मण्डी सलाहकार, जो सभापति होगा;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के विधि परामर्शी या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट उनके विभाग का कोई अधिकारी जो संयुक्त विधि परामर्शी के पद से नीचे का न हो,

(ग) सरकार के कृषि विभाग के सचिव या उनके द्वारा उस विभाग का नाम–निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।

36. अपील : धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उसका नवीकरण करने से इन्कार करने या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने या धारा 14 की उपधारा (1) या धारा 25 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद के विनिश्चय विषयक लाइसेन्स अधिकारी के आदेश से व्यथित ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है, और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय 8
शास्तियाँ और प्रक्रिया

37. शास्ति : इस अधिनियम इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या निदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति सिद्धदोष होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

38. कम्पनियों द्वारा अपराध : (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन के लिये प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के लिये जाने का निवारण करने के लिये सब तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी हो; और

(ख) 'निदेशक' का तात्पर्य किसी फर्म के सम्बन्ध में, फर्म के भागीदार से है।

39. अपराध का संज्ञान : (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

अध्याय 9
प्रकीर्ण

40. लाइसेन्स अधिकारी की शक्ति : लाइसेन्स अधिकारी –

(क) किसी लाइसेन्सधारी से ऐसी सूचना, जिसे वह लाइसेन्सधारी के स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाये जाने वाले कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें, प्रतुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(ख) अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है, किसी कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश कर सकता है और उसका, उसकी मशीन तथा सज्जा, उसमें स्टोर किये गये माल, और उससे

सम्बन्धित लेखा–बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, या उनका निरीक्षण करा सकता है।

(ग) किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के नमूने ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये निर्धारित किसी प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण, परीक्षण या जाँच करा सकता है।

41. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण : (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य से हुई किसी क्षति के लिए या जिसके होने की सम्भावना हो राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

42. आदेशों के सम्बन्ध में अपवाद : इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अथवा इसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

43. अन्य अधिनियमितियों और लिखित से असंगत होते हुए भी अधिनियम और नियम आदि का प्रभाव : इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उपबन्ध प्रभावी होगा भले ही इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या किसी अन्य संविदा में या किसी अन्य लिखत में, जिसका इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिन के कारण प्रभाव हो, कोई असंगत बात हो।

44. धारा 44–क का निकाला जाना : मूल अधिनियम की धारा 44–क निकाल दी गयी है।

45. नियम : (1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के सम्बन्ध में कोई नियम भी है।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित